

## **Regarding dismissal of services of teachers in Daman and Diu Parliamentary Constituency-Laid**

श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : मेरे संसदीय क्षेत्र दमन और दीव में हमारे प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते नियमित रूप से काम करने वाले 100 से अधिक शिक्षको की नौकरी चली गई और हो सकता अन्य लोगों की भी नौकरी जा सकती है, हमारे प्रदेश में सरकारी कुछ नौकरियाँ पहले डोमिसाइल वाले लोगों के लिए आरक्षित होती थी, हमारे प्रशासन ने स्थानीय लोगों को 20 मार्क देकर डोमिसाइल के अनिवार्यता खत्म कर दी, अब माननीय कोर्ट का आदेश आया है कि 20 मार्क अवैध है, और इस लाभ को पाकर लगे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए और इनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है । जब सारे राज्यों में C, D केटेगरी की नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होती है । प्रशासन ने डोमिसाइल के बदले 20 मार्क देकर डोमिसाइल निकाल दिया और अब वह 20 मार्क कोर्ट ने गैर कानूनी मानकर वह निकाल दिया, प्रशासन के कारण अब हमारे लोगों के भविष्य बरबाद हो रहे है, अब डोमिसाइल भी गया 20 मार्क भी गया और अब नौकरी भी । सरकार से निवेदन करते है कि हमारे युवाओ के साथ न्याय किया जाए और उनको फिर से उनकी नौकरी दी जाए और हमारे प्रदेश की नॉनगेजेटेड केटेगरी की नौकरियों में फिर से डोमिसाइल अनिवार्य किया जाए ।

---

**12.06 hrs**